प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 10.08.2024**

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25000/- रूपये का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 26.07.2024 को आवेदक सौरभ पुत्र रामकुमार उर्फ बबलू निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद ने थाना मोदीनगर पर एक तहरीर दी कि अभियुक्त अमित पुत्र वीर सिंह गुर्जर निवासी सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा अपने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर आवेदक सौरभ व उसके पिता रामकुमार उर्फ बबलू को घर जाते समय सीकरी फाटक पर गोली मार दी जिससे आवेदक के पिता रामकुमार उर्फ बबलू की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गयी तथा आवेदक सौरभ गोली लगने के कारण गम्भीर रुप से घायल हो गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गईं। तत्पश्चात दिनांक 26.07.2024 को ही एसओजी टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तों राहुल, अमित, आशू पुत्रगण वीर सिंह निवासीगण सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाजियाबाद को घटना में प्रयुक्त पिस्टल, तमंचा व मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा दिनांक 06.08.2024 को अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र इच्छा सिंह निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आज दिनांक 10.08.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित 25000/- रुपये के ईनामी अपराधी वीर सिंह पुत्र इच्छा निवासी सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतक रामकुमार उर्फ बबलू से हमारी पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश थी जिसका बदला लेने के लिए मैंने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर सीकरी फाटक पर गोली मारकर रामकुमार उर्फ बबलू की हत्या कर दी तथा रामकुमार उर्फ बबलू का पुत्र सौरभ गोली लगने के बाद मौके से भाग गया था।

नाम पता अभियुक्त

वीर सिंह पुत्र इच्छा सिंह निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 40 वर्ष,

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर मारपीट का 01 तथा हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 09.08.2024 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग/गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त इरशाद पुत्र रशीद निवासी तराबू के मकान में किराये पर नियर काशमी मस्जिद अली प्रेम गार्डन पसौण्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष को डिफेंस कॉलोनी कच्चा रास्ता सिकंदरपुर रोड़ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः
गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैने यह मोटर साइकिल दो महीने पहले जनपद बागपत से चोरी की है। जिसे बेचने के फिराक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:
इरशाद पुत्र रशीद निवासी तराबू के मकान में किराये पर नियर काशमी मस्जिद अली प्रेम गार्डन पसौण्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष स्थायी पता गांव माँण्ड़ी थाना तितावी जनपद मुज्जफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः
फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः
गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद पुत्र रशीद निवासी उपरोक्त के विरुद्ध जनपद बागपत में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।